विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन में सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों के निष्पादन लेखा परीक्षा एवं वित्तीय संव्यवहारों के लेखा परीक्षा परिणामों से सम्बन्धित दो निष्पादन लेखा परीक्षा, दो दीर्घ प्रस्तर तथा चार प्रस्तर शामिल है। महत्वपूर्ण प्रेक्षणों का सार नीचे दिया गया है:

1. निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि क्या सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों ने वांछित उद्देश्यों को कम से कम लागत पर प्राप्त किया है और अभीष्ट लाभ पहुँचाया।

1.1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा

लखनऊ विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) का गठन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन सितम्बर 1974 में हुआ था। प्राधिकरण की निष्पादन लेखा परीक्षा में 2014–15 तक के पाँच वर्षों की अवधि को आच्छादित किया गया।

प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

अवस्थापना विकास निधि से अनियमित व्यय

प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना विकास निधि से ₹ 4.29 करोड़ का व्यय ऐसे कार्यों पर किया गया जो अवस्थापना विकास की परिधि में नहीं आते हैं।

(प्रस्तर 2.1.6.5)

कोडल प्रावधानों के उल्लंघन से परिहार्य व्यय

प्राधिकरण को, राज्य सरकार के निक्षेप कार्यों हेतु बिना धन की उपलब्धता सुनिश्चित किये भू–अर्जन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के कारण, ₹ 30.88 करोड़ की हानि हुई।

{प्रस्तर 2.1.7.3(i)}

शुल्क/प्रभारों की अल्प/न वसूली से हानि

प्राधिकरण को, तल क्षेत्रफल अनुपात (त0क्षे0अ0) शुल्क, क्रय योग्य त0क्षे0अ0 शुल्क, नगरीय विकास प्रभार, वाह्य विकास प्रभार, भू–उपयोग परिवर्तन प्रभार एवं अम्बार एवं निरीक्षण प्रभार जैसे शुल्कों/प्रभारों की भवन उपविधि एवं शासनादेशों के उल्लंघन में अल्प/न वसूली से ₹ 30.16 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

मानचित्रों की स्वीकृति पर श्रम उपकर का न लिया जाना

प्राधिकरण भवनों/आवासों के निर्माण लागत, (जहां कहीं अनुमानित लागत ₹ 10 लाख से अधिक थी) पर श्रम उपकर आरोपित एवं संग्रह करने की कोई व्यवस्था स्थापित करने में विफल रहा जिससे ₹ 35.52 करोड़ श्रम उपकर की वसूली न हो सकी।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

समूह आवास योजना के क्रियान्वयन में परिहार्य व्यय

प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में समूह आवास योजना का कार्य आबंटित करने से ₹ 18.28 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

भूमि की लागत का कम भारित किया जाना

प्राधिकरण को, फ्लैटों के लागत मूल्यांकन में भूमि की गलत दर लगाने से, ₹ 28.59 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ

प्राधिकरण भू–उपयोग परिवर्तन प्रभार ₹ 7.25 करोड़ एवं भूमि के अर्जन पर प्रशासनिक प्रभार ₹ 6.65 करोड़ आरोपित करने में विफल रहा।

{प्रस्तर 2.1.10.1 एवं 2.1.10.2(i)}

शासन की नीति के उल्लंघन में आवासीय सम्पत्तियों का आबंटन

प्राधिकरण ने, शासन की नीति (1992) के विरूद्ध 167 आवेदकों को एक से अधिक सम्पत्ति का आबंटन किया। प्राधिकरण इन सम्पत्तियों का आबंटन निरस्त करने एवं इन आबंटियों से सम्पत्तियों के मूल्य के बराबर धनराशि ₹ 24.41 करोड़ वसूलने में भी विफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.11.1)

अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्यवाही करने में विफलता

प्राधिकरण 3,822 अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में विफल रहा है।

(प्रस्तर 2.1.12.2)

1.2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की निष्पादन लेखापरीक्षा

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (विभाग) शासन के एक अंग के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक एवं अवस्थापना के विकास की नीतियों को तैयार करने एवं कार्यान्वयन का कार्य करता है। विभाग, दो प्राधिकरण (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण) तथा उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) की निष्पादन लेखापरीक्षा 2012–13 से 2014–15 तक की अवधि को आच्छादित करते हुये 27 जुलाई 2015 से 1 अक्टूबर 2015 के दौरान की गई।

विभाग, यूपीएसआईडीसी एवं प्राधिकरणों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा नीचे की गयी है:

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

समयबद्ध भू–अर्जन हेतु निर्देश न दिया जाना

विभाग द्वारा, अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अनुरूप, औद्योगिक प्रयोजन हेतु समयबद्ध भू–अर्जन के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित नहीं किया गया, यह प्राधिकरणों द्वारा भू–अर्जन में विलम्ब के रूप में परिणत हुआ।

(प्रस्तर 2.2.5.4)

अधिनियम–1976 के अन्तर्गत तैयार नियमावलियों का अनुमोदन न किया जाना

31 मार्च 2015 तक विभाग, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (अधिनियम–1976) के अनुसरण में प्राधिकरणों द्वारा तैयार विनियमावलियों के, अनुमोदन करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 2.2.5.5)

प्राधिकरणों/यूपीएसआईडीसी का अनुश्रवण न किया जाना

विभाग अधिनियम–1976 के अनुरूप अनुश्रवण तंत्र बनाने में विफल रहा। विभाग ने न तो प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत करने हेतु सामयिक रिपोर्ट/रिटर्न/लेखों का निर्धारण किया और न ही प्राधिकरणो/यूपीएसआईडीसी द्वारा महायोजना/विकास योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया।

(प्रस्तर 2.2.5.6)

उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

भू–अर्जन

यूपीएसआईडीसी भूमि अर्जन की व्यवहार्यता का उचित मूल्यांकन करने, धनराशि की व्यवस्था तथा किसानों को सहमत करने में विफल रहा जिसके कारण कई भू–अर्जन प्रस्तावों को छोड़ना पड़ा, फलस्वरूप भू–अर्जन शुल्क के रूप में ₹ 10.11 करोड़ की विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (विभूअ) द्वारा की गयी कटौती के कारण हानि हुई तथा ₹ 38.24 करोड़ अवरूद्ध रहा।

(प्रस्तर 2.2.6.5)

भूमि का विकास

यूपीएसआईडीसी ने 2012–13 से 2014–15 के दौरान ₹ 27.93 करोड़ औद्योगिक क्षेत्रों के अनुरक्षण तथा उन्नयन पर व्यय किया जो कि ऑपरेटिंग मैनुअल के अनुसार अनुमन्य नहीं था।

(प्रस्तर 2.2.6.6)

भूमि का आबंटन

यूपीएसआईडीसी विकसित भूमि के आबंटन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। इसके अलावा ₹ 814.41 करोड़ मूल्य की, 1,092.65 एकड़ विकसित भूमि अनाबंटित रही तथा ₹ 1,098.16 करोड़ मूल्य की 1,846.13 एकड़ आबंटित भूमि 31 मार्च 2015 तक आबंटी इकाईयों के रूग्ण/बन्द होने के कारण अनुपयोगी बनी रही।

(प्रस्तर 2.2.6.7 एवं 2.2.6.7.5)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

नियोजन

गीडा द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के विकास हेतु अधिनियम–1976 के अनुरूप योजना विनियमावलियों को नहीं बनाया गया।

(प्रस्तर 2.2.7.4)

भू–अर्जन, विकास एवं आबंटन

गीडा द्वारा विगत तीन वर्षों में भूमि के अर्जन, इसके विकास एवं आबंटन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अनुचित अनुनय के कारण ₹ 25.64 करोड़ विशेष भूमि अधाप्ति अधिकारी के पास अवरूद्ध रहा।

(प्रस्तर 2.2.7.5 से 2.2.7.7)

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

नियोजन

लीडा अपने गठन के दस वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिसूचित क्षेत्रों के विकास हेतु महायोजना को अंतिम रूप नहीं दे सका।

(प्रस्तर 2.2.8.4)

भू–अर्जन, विकास एवं आबंटन

- लीडा विगत तीन वर्षों में किसी भी भूमि का अर्जन नहीं कर सका एवं उसे भू अर्जन में हानि हुई तथा धनराशि भी अवरूद्ध रही।
- इसने किसी भूमि को विकसित नहीं किया तथा विवादित भूमि के विकास कार्यों पर निष्फल व्यय किया।

(प्रस्तर 2.2.8.5 एवं 2.2.8.6)

1.3 उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा ऑफ–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर दीर्घ प्रस्तर

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (उपनेडा), नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के क्षेत्र में राज्य के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य कर रही है। उपनेडा की लेखा परीक्षा, ऑफ–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को आच्छादित करते हुये, की गयी।

विभिन्न ऑफ–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा नीचे की गयी है:

- वित्तीय औचित्य के सिद्धांतो का उल्लंघन करते हुए उपनेडा ने सौर मार्ग प्रकाश तथा सौर उर्जा पैक की स्थापना पर ₹ 12.92 करोड़ का अधिक व्यय किया। उपनेडा द्वारा स्थापित सौर उपकरणों को कार्यशील बनाए रखने के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध की अवधि की समाप्ति के बाद कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.3.10.1 एवं 2.3.10.2)

- 460 नमूना जाँच किये गये सौर ऊर्जा संयंत्रों मे से केवल 399 संयंत्र (87 प्रतिशत) स्थापित किये जा सके जिसमे से ₹ 5.70 करोड़ लागत के 182 (46 प्रतिशत) सयंत्र विक्रेता द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने, उपनेडा द्वारा अनुचित सर्वेक्षण तथा परियोजनाओं की दोषपूर्ण डिजाइन के कारण अकार्यशील थे।

(प्रस्तर 2.3.10.3)

- उपनेडा ने ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के माध्यम से दर्ज कराई गई शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का अनुश्रवण नहीं किया ।

(प्रस्तर 2.3.10.4)

- मऊ में ₹ 1.76 करोड़ की लागत से निर्मित प्रशिक्षण केंद्र का वर्ष 1993 से निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।

(प्रस्तर 2.3.12)

1.4 राज्य में नवीन कोयला वितरण नीति का कार्यान्वयन

नवीन कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के प्रावधानों के अनुक्रम में, उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (उद्यमों) को कोयले की आपूर्ति के दृष्टगत सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग (विभाग) ने उत्तर प्रदेश लद्यु उद्योग निगम लिमिटेड (यूपीएसआईसी) को कोयले की अधिप्राप्ति एवं वितरण एजेन्सी के रूप में नामित किया तथा वितरित कोयले के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए उद्योग निदेशालय (निदेशालय) को उत्तरदायी बनाया। एनसीडीपी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों अभिकरणों की लेखा परीक्षा की गयी।

राज्य में एनसीडीपी को उपर्युक्त तीनों अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित किये जाने से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा नीचे की गयी है:

- नवीन कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) में परिकल्पित, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (उद्यमों) की वास्तविक कोयला आवश्यकता के आँकलन की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि न तो पूर्ण एवं विश्वसनीय रूप में पंजीकृत कोयला उपयोगकर्ता उद्यमों के आंकड़े उपलब्ध थे एवं न ही समिति की कार्यवाही उचित थी।

(प्रस्तर 2.4.6)

- विलम्ब से ईंधन आपूर्ति अनुबन्धों को निष्पादित करने तथा कोयला कंपनियों को कोयले के उठान का कार्यक्रम प्रस्तुत न करने के कारण, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (यूपीएसआईसी) ईंधन आपूर्ति अनुबन्ध में अनुबंधित मात्रा का 37.58 प्रतिशत कोयला, उठान करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 2.4.7)

- एनसीडीपी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये यूपीएसआईसी द्वारा उद्यमों को निर्धारित मानदंडों से अधिक कोयले का वितरण किया गया एवं ₹13.35 करोड़ अमान्य प्रासंगिक प्रभारों की वसूली की गयी।

(प्रस्तर 2.4.8.1 एवं 2.4.8.4)

- एनसीडीपी में अपेक्षित, कोयले का दुरूपयोग रोकने हेतु वितरित कोयले के सत्यापन एवं अनुश्रवण की निर्धारित प्रक्रिया का विभाग एवं उद्योग निदेशालय द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.4.9)

2. अनुपालन लेखा परीक्षा

- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने राज्य सरकार के आदेशानुसार क्रय योग्य त0क्षे0अ0 चार्ज न लगाते हुए बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुँचाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.1)

- भूमि दर के गलत निर्धारण के कारण, व्यावसायिक सम्पत्तियों की नीलामी में मेरठ विकास प्राधिकरण को ₹ 1.10 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 3.2)

- गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटन का निरस्तीकरण न किये जाने के कारण भुगतान में विफल आबंटियों को ₹ 3.10 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(प्रस्तर 3.3)

- वन विभाग द्वारा अन्नतिम आधार पर पुरानी दरों पर पट्टा किराया लिए जाने के कारण ₹ 5.83 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 3.4)